न्यायालय :– व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, टोंकखुर्द जिला देवास म0प्र0
(समक्ष – श्वेता खरे)

Registration No. 05/2022
Filing No. 35/2022
C.N.R.No.MP-4109-000794-2022
Filing Date-01-11-2022

1. सीताराम पिता औंकार आयु 48 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
2. दौलतराम पिता बापूजी आयु 65 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
3. हरलाल पिता देवीलाल आयु 45 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
4. नर्बत पिता देवीलाल आयु 40 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
5. रघुनाथ पिता देवीलाल आयु 52 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
6. राजेन्द्र पिता घासीराम आयु 55 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
7. अम्बाराम पिता नाथुलाल आयु 66 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
8. जगदीश पिता अम्बाराम आयु 48 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
9. राजाराम पिता दौलतराम आयु 50 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
10. जगदीश पिता दौलतराम आयु 45 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
11. कमल पिता औंकार आयु 45 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
12. औंकार पिता लालू आयु 75 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
13. भेरूलाल पिता भागीरथ आयु 50 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
14 छीतीबाई विधवा लालजीराम आयु 70 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
15. बावल बाई पति देवीलाल आयु 66 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
16. विक्रम पिता लक्ष्मणजी आयु 30 वर्ष व्यवसाय मजदूरी

समस्त निवासीगण ग्राम कन्हैरिया तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

.....आवेदकगण

–: विरूद्ध :–

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश जिला देवास म.प्र.
2. तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.
   अनुविभाग सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....अनावेदकगण

–: आदेश :–

(आज दिनांक 27.01.2023 को पारित किया गया)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत् आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

27.1.23

(श्वेता खरे)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
तह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

2. आवेदन पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि मूल व्यवहार वाद क्र. 9ए/2019 सीताराम आदि विरूद्ध म.प्र. शासन दिनांक 17.10.2022 को आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम पर सुने जाने हेतु नियत था। आवेदकगण के अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर म.प्र. में उपस्थित होने के कारण आवेदकगण को बगैर सूचना दिये हुये इंदौर चले गये थे आवेदक कृषि उपज मण्डी देवास में व्यापारी के बुलावे पर ट्रक में अनाज भरने हेतु देवास गया था तथा वहां से वापस न्यायालय में पेशी पर आ रहा था किंतु उसकी मोटरसायकल की चेन टूट जाने के कारण वह उसे मैकेनिक के यहां मोटरसायकल की चेन दुरूस्त करवाने में समय लगा और वह न्यायालय के समक्ष पुकार लगवाये जाने के समय उपस्थित नहीं हो सका है। उसकी अनुपस्थिति सद्भावना पर आधारित है। आवेदकगण दावा आगे चलाना चाहते है। अतः दावा पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का निवेदन किया है।

3. अनावेदकगण मूल प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय होने से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. आवेदन पत्र के न्यायोचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं कि :–

> क्या आवेदकगण/वादीगण के व्यवहार वाद 9ए/2019 सीताराम विरूद्ध शासन वगैरह सुनवाई दिनांक 17.10.2022 को पुकार के समय वादीगण एवं उसके अधिवक्ता की अनुउपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतुक था ?

विचारणीय प्रश्न की सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

5. आवेदकगण/वादीगण की ओर से आवेदन के समर्थन में सीताराम (आ0सा0–1) के कथन कराये गये हैं। अनावेदकगण की ओर से आवेदन के खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है।

6. सीताराम (आ0सा0–1) ने कथन किया है कि दिनांक 17.10.2022 को उसके मालिक ने उसे गाड़ी में अनाज भरने के लिये बुलाया था जिस कारण वह देवास अनाज भरने के लिये गया था। उक्त दिनांक को वह देवास से 12.30 पर न्यायालय में आने के लिये मोटरसायकल से आ रहा था किंतु रास्ते में मोटरसायकल की चैन व एक्सेल ने काम करना बंद कर दिया फिर वह पैदल गाड़ी को लेकर कस्बा भौंरासा आया वहां पर गाड़ी को ठीक करवाया। उसके अनुसार जब तक वह न्यायालय पहुंचा तब तक न्यायालय समय समाप्त हो गया था और उसे जानकारी हुई थी कि उसका प्रकरण अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया है। उसने आगे यह भी अभिकथित किया है कि उक्त दिनांक को उसके अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। आवेदक ने उसकी अनुपस्थिति को सद्भाविक रूप से विचार करते हुये मूल प्रकरण क्रमांक 9ए/2019 को पुर्नस्थापन

27.1.23

(श्वेता खरे)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
तेह. टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

किये जाने का निवेदन किया गया।

7. आवेदकगण की ओर से आवेदन के समर्थन में पेश की गई साक्ष्य को प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय होने से उसकी साक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

8. आवेदकगण/वादीगण की ओर से आवेदन के समर्थन में न्यायदृष्टांत **समोती बाई विरूद्ध धन्नालाल एवं अन्य 2005 (2) एम.पी.एल. जे.142** पेश किया गया है, जिसमें अवधारित किया गया है कि पर्याप्त हेतुक के संबंध में न्यायालय में न्याय के दृष्टांत की पूर्ति के लिए नम्र रूख अपनाना चाहिए यदि आवेदकगण की अनुपस्थिति का दुर्भावनापूर्ण कारण न हो तो ऐसी स्थिति में मामला पुर्नस्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में भी आवेदकगण एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कारण सद्भाविक होकर उनकी सुनवाई की दिनांक को अनुपस्थिति का पर्याप्त हेतुक होना दर्शित होता है।

9. इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **रामलाल विरूद्ध अरूणा देवी 1994 (2) एम.पी. डब्लू.एन.120** में अवधारित किया गया है कि काउंसिल द्वारा सूचना न दिया जाना एवं मामले की देखभाल न किये जाने के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता चूंकि इस प्रकरण में भी अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में जाने के कारण एवं वादीगण को नियत पेशी दिनांक 17.10.2022 को अनुपस्थित होने के कारण वादीगण का वाद अनुपस्थिति में निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में भी अधिवक्ता की गलती के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता है।

10. अतः आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत सीताराम (आ0सा0–1) के कथन के आधार पर आवेदकगण के आवेदन का समर्थन उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के परिणामस्वरूप यह प्रमाणित पाया जाता है कि व्यवहार वाद कमांक 9ए/2019 सीताराम वगैरह विरूद्ध शासन आदि के प्रकरण में दिनांक 17.10.2022 को आवेदकगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुउपसंजाति का पर्याप्त हेतुक होना प्रमाणित पाया जाता है।

11. अतः आवेदकगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र विहित समयावधि में पेश होने से एवं उनकी अनुपस्थिति का पर्याप्त हेतुक होना प्रमाणित पाया सीताराम वगैरह विरूद्ध शासन वगैरह मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित किया जाता है।

12. प्रकरण में उभयपक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

दिनांक 27.01.2023

(श्वेता खरे)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(श्वेता खरे)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

(श्वेता खरे)
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)